# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(मुरारी लाल शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 64/2017

प्रविष्टि दिनांक:– 30.11.2017

विजय कुमार कंछल पुत्र स्व0 श्री शकंर लाल कंछल जाति अग्रवाल महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

............ अपीलाण्ट

बनाम

1–ग्राम पंचायत पनवाड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड तहसील देवली जिला टोंक
2–ग्राम पंचायत पनवाड जरिये सचिव ग्राम पंचायत पनवाड तहसील देवली जिला टोंक
3–तहसीलदार देवली जिला टोंक

............ रेस्पोडेण्ट

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 तहसीलदार देवली**

उपस्थित: (1) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2
(3) श्री मजहर आलम, पेरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 3

**निर्णय** **दिनांक 27.08.2021**

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली द्वारा अपने आदेश दिंनाक 13.12.2004 से आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है0 का आवासीय परिर्वतन का नामान्तकरण सिवायचक स्वीकार किया गया है।आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.20 है0 भूमि की खातेदार ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली नही है। संपरिर्वतन का आदेश भी ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली के पक्ष मे नही है। अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण के बाद रूपान्तकरण किया गया रकबा का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे राजस्व भूमि मानकर नही किया जा सकता है। गैर मुमकिन आबादी एंव औधोगिक परिर्वतन होने के बाद मे इस रकबे को तो केवल राजस्व रिकार्ड से कम करने के लिए ही नामान्तकरण तस्दीक किया जा सकता है। रूपान्तरण के संबंध मे राज्य सरकार ने भी परिपत्र द्वारा निर्देशित किया है कि रूपान्तकरण होने के पश्चात भूमि खातेदारी मे से कम किये जाने के प्रावधान है। तथाकथित नामान्तकरण के बाद बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे भू–धारक राज्य सरकार एंव खातेदार की जगह सिवायचक गैर मुमकिन आबादी एंव गैर मुमकिन औधोगिक हाजा का अकंन भी अनाधिकृत व अवैध है। आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है0 भूमि मे से रकबा 0.10 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी मे तथा रकबा 0.17 है0 भूमि औधोगिक मे चले जाने के कारण से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से कम करने के लिये नामान्तकरण स्वीकृत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:39 IST
Reason: SelfAttested

1084

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

जा सकता है। अतःतहसीलदार देवली द्वारा नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 को स्वीकार किये जाने से अपीलांट व्यथित होकर उक्त नामान्तकरण को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की हैं

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.2004 से आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है0 का आवासीय परिर्वतन का नामान्तकरण सिवायचक स्वीकार किया गया है,जो आदेश अनाधिकृत है और (शून्य है) आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.20 है0 भूमि की खातेदार ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली नही है। संपरिर्वतन का आदेश भी ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली के पक्ष मे नही है। अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण के बाद रूपान्तकरण किया गया रकबा का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे राजस्व भूमि मानकर नही किया जा सकता है। गैर मुमकिन आबादी एंव औधोगिक परिर्वतन होने के बाद मे इस रकबे को तो केवल राजस्व रिकार्ड से कम करने के लिए ही नामान्तकरण तस्दीक किया जा सकता है। तहसीलदार देवली ने विधि के इस बिन्दू पर विचार न कर अपीलांट को बिना नोटिस दिये एंव बिना सुनवाई के ही आदेश दिये है। रूपान्तरण के संबंध मे राज्य सरकार ने भी परिपत्र द्वारा निर्देशित किया है कि रूपान्तकरण होने के पश्चात भूमि खातेदारी मे से कम किये जाने के प्रावधान है। तथाकथित नामान्तकरण के बाद बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे भू-धारक राज्य सरकार एंव खातेदार की जगह सिवायचक गैर मुमकिन आबादी एंव गैर मुमकिन औधोगिक हाजा का अकंन भी अनाधिकृत व अवैध है। आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है0 भूमि मे से रकबा 0.10 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी मे तथा रकबा 0.10 है0 भूमि औधोगिक मे चले जाने के कारण से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से कम करने के लिए ही नामान्तकरण स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या-एफ 6 (26)राज0 6/2014/33 दिंनाक 06.10.2016 के अनुसार संपरिर्वतन हेतु प्राप्त होने वाले आवदेन पत्रो का निर्धारित प्रपत्र अनुसार रजिस्ट्रर संधारित किया जाना आवश्यक है। परिपत्र अनुसार संपरिवर्तन आदेश होने के बाद संपरिवर्तन हुई भूमि को खातेदार की खातेदारी की भूमि मे से कम कर शेष भूमि का तहसीलदार द्वारा आवश्यक इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज किया जाना न्यायोचित एंव न्याय संगत है। तहसीलदार देवली द्वारा उपरोक्त परिपत्र पर कोई गौर नही किया गया है। अवैधानिक रूप से सिवायचक का अंकन किया गयां है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया गया उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर अपीलांट के नाम नामान्तकरण भरवाये जाने का आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:39 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम पनवाड अपीलांट की खातेदारी की भूमि है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

1085

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलांट ने उक्त भूमि मे से 0.20 है० भूमि का औधोगिक एंव आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाया गया है। तथाकथित भूमि पर ग्राम पंचायत पनवाड का कोई अधिकार एंव कब्जा नही है और ना ही राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत पनवाड को दिया गया है। तत्समय तहसीलदार देवली द्वारा तथाकथित नामान्तकरण किन नियमो के परिपेक्ष्य मे ग्राम पंचायत पनवाड के पक्ष मे दर्ज किया गया है ज्ञात नही है। अतः अपीलांट उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व अधिकार करवाना चाहता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 676 दिनाक 27.12.2004 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली को विजय कुमार पुत्र शकंर लाल महाजन सा.देवली खातेदार के स्थान पर सिवायचक आवासीय गै.मु.आबादी एंव गै०मु० औधोगिक के नाम का नामान्तकरण तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया है। प्रश्नगत नामान्तकरण प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 केम्प दिंनाक 27.12.2004 ग्राम पंचायत पनवाड मे तस्दीक/स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण मे अगर किसी प्रकार की त्रटि है तो तहसीलदार देवली को पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना न्याय संगत है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली को विजय कुमार पुत्र शकंर लाल महाजन सा.देवली खातेदार के स्थान पर सिवायचक आवासीय गै.मु.आबादी एंव गै०मु० औधोगिक के नाम का नामान्तकरण तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि तहसीलदार देवली द्वारा अपने आदेश दिंनाक 13.12.2004 से आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है० का आवासीय परिर्वतन का नामान्तकरण सिवायचक स्वीकार किया गया है,जो आदेश अनाधिकृत है और (शून्य है) आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.20 है० भूमि की खातेदार ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली नही है। संपरिर्वतन का आदेश भी ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली के पक्ष मे नही है। अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण के बाद रूपान्तकरण किया गया रकबा का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे राजस्व भूमि मानकर नही किया जा सकता है। गैर मुमकिन आबादी एंव औधोगिक परिर्वतन होने के बाद मे इस रकबे को तो केवल राजस्व रिकार्ड से कम करने के लिए ही नामान्तकरण तस्दीक किया जा सकता है। तहसीलदार देवली ने विधि के इस बिन्दू पर विचार न कर अपीलांट को बिना नोटिस दिये एंव बिना सुनवाई के ही आदेश दिये है।

अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 व 2 तर्क है कि तथाकथित भूमि पर ग्राम पंचायत पनवाड का कोई अधिकार एंव कब्जा नही है और ना ही राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत पनवाड को दिया गया है अतः अपीलांट उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व अधिकार करवाना चाहता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:39 IST
Reason: SelfAttested

1086

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 ने भी तर्क दिया है कि नामान्तकरण मे अगर किसी प्रकार की ऋटि है तो तहसीलदार देवली को पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना न्याय संगत है।

उपरोक्त विवेचन से विदित होता है कि तहसीलदार देवली ने उक्त नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट की सुनवाई नही की है। तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तकरण प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 केम्प दिंनाक 27.12.2004 ग्राम पंचायत पनवाड मे तस्दीक/स्वीकार किया गया है। अभिभाषक अपीलांट ने भी अपीलांट की सुनवाई नही करने बाबत अपील मीमो मे आपत्ति की है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 वाके ग्राम पनवाड मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 वाके ग्राम पनवाड पर तहसीलदार देवली द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार देवली को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 10.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली के समक्ष समय 10.00 ए. एम.पर उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:39 IST
Reason: SelfAttested

1087

Scanned by CamScanner